

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. ३(१)साप्र/२/२०१९

जयपुर, दिनांक : १०-०२-२०२१

—: आदेश :—

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी तृतीय श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार कियाये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 13 के प्रावधानानुसार प्रथम परिवर्तन के अंतर्गत एतदद्वारा आवण्टन/परिवर्तन किया जाता है :—

क्र.सं.	वरियता संख्या	आवंटी नाम व पदनाम	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवण्टित राजकीय आवास
1.	113 / 2011	श्री अशोक कुमार शर्मा निजी सहायक, कार्यालय अतिरिक्त वन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन झालानी झूंगरी, जयपुर	30.09.2026	गा/21, गांधीनगर (गा/102, गांधीनगर के स्थान पर)
2.	291 / 2013	डॉ अरुण प्रधान वरिष्ठ चिकित्साधिकारी सर्वाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	30.06.2034	गा/47, गांधीनगर (ई-१२१, गांधीनगर के स्थान पर)

शर्त :—

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से ८ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का कियाया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के कियाये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से ८ दिवस में अथवा आवंटन स्थीकार करने के असफल रहने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान कियाया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
 1. आदेश प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आदेश प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


४०

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
3. अधीक्षक, सर्वाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर/अतिरिक्त वन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन झालानी झूंगरी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से कियाया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
5. निदेशक, संपदा विभाग, संपदा निदेशालय, मिनि सचिवालय, जयपुर।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-३) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-५) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड— तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
9. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर, जयपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर।

11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निवेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
12. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय, जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित राजकीय आवास निर्धारित अवधि में नियमानुसार रिक्त कर विभाग को सूचित करेंगे।
13. रक्षित पत्रावली।

 ११२१२१
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल